

न्यायालय:— प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अशोकनगर के न्यायालय के अतिरिक्त  
न्यायाधीश, श्रंखला न्यायालय चंदेरी अशोकनगर, (म.प्र.)  
 (समक्ष – सैफी दाऊदी)

आपराधिक अपील क. 02/2017

संस्थित दिनांक 02.01.17

कालूराम पुत्र घनसू आदिवासी आयु 30 वर्ष  
 निवासी ग्राम गोधन थाना चंदेरी जिला  
 अशोकनगर म.प्र.

----- अपीलार्थी / अभियुक्त

**विरुद्ध**

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केंद्र  
 चंदेरी, जिला अशोकनगर, म.प्र.

----- प्रत्यर्थी / अभियोजक

---

अपीलार्थी / अभियुक्तग द्वारा	:- श्री आलोक चौरसिया अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थी / अभियोजन द्वारा	:- अपर लोक अभियोजक श्री राजपूत ।

---

**—:: निर्णय ::—**

**(आज दिनांक ..... को पारित किया गया)**

1. अपीलार्थी “जिसे इसमें इसके पश्चात् अभियुक्त कहा जायेगा” ने वर्तमान अपील अंतर्गत धारा 374 दं.प्र.सं. श्री जफर इकवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंदेरी द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 60/2013 में घोषित आलोच्य निर्णय एवं दंडाज्ञा दिनांक 06.12.16 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी / अभियुक्त उसके विरुद्ध सिद्धदोष आरोप धारा 294 भा.द.वि. हेतु 100/- रुपये के अर्थदंड से तथा धारा 323 भादवि के आरोप हेतु एक माह के साधारण कारावास एवं 200/- रुपये के अर्थदंड से और धारा 506 भाग-दो भादवि के आरोप हेतु 200/- रुपये के अर्थदंड से और उक्त अर्थदंडों में से किसी की अदायगी का व्यतिक्रम करने पर तीन दिवस के साधारण कारावास का दंडादेश अधिरोपित किया है, उक्त दंडादेश के विरुद्ध ही वर्तमान आपराधिक अपील विचाराधीन है।

2. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त परीक्षण के प्रक्रम पर किये गये अभिकथनानुसार उभयपक्ष का आपस में परिचित होना स्वीकृत तथ्य रहा है।

3. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभियोजन प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अभियोगी गब्बर सिंह खंगार अ.सा.1 ने दिनांक 07.02.13 के शाम लगभग 06 बजे ग्राम गोधन के राउतपाना मोहल्ला में कारित हुई घटना के संबंध में अभियुक्तगण कालूराम व घंसू के विरुद्ध अपनी पत्नि कमलेश तथा भाई गंगाराम के साथ उपस्थित होकर पुलिस थाना चंदेरी जिला अशोकनगर पर यह प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 अभियोजन साक्षी प्रधान आरक्षक नरेन्द्र सिंह अ.सा.5 को अंकित कराई कि जब वह शाम 06 बजे उसके मवेशियों को घर तरफ भगाकर लेकर आ रहा था, तब रास्ते में उसे कालूराम व घंसू ने मिलने पर कहा कि जो रुपये उन्होंने अभियोगी को सौदा अर्थात् सामान लाने के लिए दिये थे, वह वापिस नहीं दिये हैं। इसके पश्चात् अभियुक्त कालूराम उसे मादरचोद बहनचोद की गालियां देने लगा और जब उसने गालियां देने से मना किया तो दोनों उससे चेंट गये और कालूराम ने उसकी बायीं आंख के पास पत्थर से उपहति कारित की जिससे खून निकला और घंसू ने उसे दाहिने हाथ की छिंगली तथा पंजे में डंडे से उपहति कारित की, जिससे खून निकल आया और जब अभियोगी घर तरफ जाने लगा तो दोनों ने उसे रोक लिया तब अभियोगी की भाभी बबीता और घनश्याम आये और उन्होंने बीच बचाव किया तब अभियुक्तगण कहने लगे कि आइंदा उधारीके रुपये मांगे तो वे उसे जान से मार देंगे। अभियोगी द्वारा अंकित करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने के पश्चात् प्रधान आरक्षक नरेन्द्र सिंह अ.सा.5 ने अनुसंधान के प्रक्रम पर नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 अंकित किया। अभियोगी तथा अन्य साक्षीगण के कथन अंकित किये जाने के पश्चात् अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा अंकित किये जाने की कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उन्हें जमानतीय अपराध के परिप्रेक्ष्य में उन्हें जमानत पर उन्मुक्त करते हुए अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 294 323/34, भा.दं.वि. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में आरोप विरचित किये गये। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण का अभिवाक् लेखबद्ध किया गया और अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. संपन्न किये जाने पर अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना अभिकथित करते हुए, अभियोजन पक्ष के विरुद्ध पुलिस चंदेरी में रिपोर्ट की थी, जिसकी रंजिश से उन्हें झूठा फसाया जाना अभिकथित करते हुए अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं देना अभिकथित किया है।

5. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत की गयी साक्ष्य का मूल्यांकन कर अभियुक्तगण को निर्णय की कंडिका 1 में वर्णित दंडादेश अधिरोपित किया। उक्त दंडादेश के विरुद्ध ही वर्तमान आपराधिक अपील विचाराधीन है।

6. **अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से वर्तमान अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि** विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोगी एवं उससे हितबद्ध

रिस्तेदार साक्षीगण के कथन पर विश्वास कर दोषपूर्ण आदेश पारित किया है। उक्त साक्षीगण के कथन में गंभीर विरोधाभास है। अभियोजन साक्षीगण घनश्याम अ.सा.2, गंगाराम अ.सा.4 घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थे, जिससे उन्होंने घटना को कारित होते हुए नहीं देखा है। विवेचक तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक के कथनों में गंभीर विरोधाभास है, किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने उनके कथनों पर विश्वास कर विधिक त्रुटि कारित की है। साक्षीगण द्वारा तथा अभियोगी तथा गाली के विशिष्ट शब्दों को तथा अभियुक्त द्वारा अभियोगी को धमकी उच्चारित करने का कोई तथ्य अभिकथित नहीं किया है, इसके उपरांत भी विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 294, 506 भाग दो भादवि के आरोप हेतु सिद्धदोष कर विधिक त्रुटि कारित की है। अन्य अभिवचन समाहित करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दंडाज्ञा दिनांक 06.12.16 को अपास्त कर अभियुक्त कालूराम को दोषमुक्त किये जाने और अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना न्यायालय से की गयी है।

7. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्क के आलोक एवं अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य तथा विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन एवं परिशीलन किये जाने पर यह अवधारणीय प्रश्न उद्भूत होते हैं कि :-

1. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त की दोषसिद्धि का दिया गया निष्कर्ष अभिलेखगत साक्ष्य एवं सुसंगत विधि के अनुकूल है ? “यदि हां तो”
2. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को प्रदत्त दंडादेश विधि के अनुकूल है ?

#### साक्ष्य मूल्यांकन सह निष्कर्ष

#### अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 1 :-

8. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से अभियोगी गब्बर सिंह अ.सा.1, घनश्याम अ.सा.2, बबीता अ.सा.3, गंगाराम अ.सा.4, नरेन्द्र सिंह अ.सा.5, डॉ एम एल खरका अ.सा.6, कमलेश बाई अ.सा.7 का परीक्षण न्यायालय के समक्ष अंकित कराया है।

9. जहां तक अभियुक्त द्वारा अभियोगी को अश्लील शब्द उच्चारित कर श्रवण कराते हुए क्षोभ कारित किये जाने के तथ्य का प्रश्न है, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में अभियोगी प्रश्नगत गालियों के शब्द अभियुक्त द्वारा उसे उच्चारित किये जाने के तथ्य को अंकित कराता है और प्रश्नगत घटना के समय, जबकि घटना चालू रही है, तभी अपनी पत्नि बबीता तथा घनश्याम के आ जाने का तथ्य भी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में अंकित कराता है। अभियोगी के अंकित कराये तथ्यानुसार जब वह घर की तरफ जाने लगा तब उसे अभियुक्त कालू तथा अन्य व्यक्ति घंसू ने रोका इतने में उसकी भाभी बबीता और घनश्याम आ गये थे तथा प्रश्नगत घटना संपूर्ण हो जाने

के पश्चात उक्त व्यक्तियों के मौके पर आने का तथ्य यह साक्षी अभिकथित करता है।

10. साक्षी बबीता अ.सा.3 अभियुक्त कालूराम द्वारा अभियोगी को मां बहन की गालियां देने का तथ्य अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथित करती है किन्तु स्वयं अभियोगी के द्वारा अंकित करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 की अंतर्वस्तु इस तथ्य को प्रकट करती है कि यह साक्षी प्रश्नगत घटना पूर्ण होने के तत्काल पश्चात मौके पर पहुंची हुई साक्षी है। इस साक्षी का ऐसा कोई अभिकथन नहीं है कि इस साक्षी ने प्रश्नगत घटना के समय अभियुक्त कालूराम द्वारा अभियोगी को अश्लील शब्द उच्चारित करते हुए स्वयं सुना है। अर्थात् इस स्थिति का विद्यमान नहीं होना इस साक्षी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 60 में वर्णित ऐसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की कोटि में समाहित नहीं करता, जिसे प्रश्नगत घटना के समय हुए संव्यवहार के संबंध में अभियुक्त या अभियोगी द्वारा उच्चारित किये गये किन्हीं ध्वनि, शब्दों या संकेतों को प्रत्यक्षतः देखा या सुना है।

11. यही स्थिति साक्षी घनश्याम अ.सा.2 के अभिकथन की भी है। तब ऐसी स्थिति में प्रश्नगत गालियों के संबंध में अभियोजन प्रकरण अभियोगी के अभिकथन पर अवलंबित है।

12. भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 294 के प्रावधानान्तर्गत उपबंधित अपराध के संपन्न होने हेतु निम्नांकित अवयवों का प्रमाणन होना आवश्यक है—

1. किसी व्यक्ति द्वारा लोक स्थान या उसके समीप
2. कोई अश्लील शब्द, पवाड़ा या गाना
3. उच्चारित किया जाये
4. अन्य व्यक्ति द्वारा उसे सुना जाये तथा
5. सुनने वाले व्यक्ति को उन शब्दों को सुनकर क्षोभ कारित हो।

13. अर्थात् उसे बुरी संवेदनायें उत्पन्न हों। अभियोगी गब्बर सिंह अ.सा.1 के अभिकथन को उक्त कोटियों में रखकर जांचे जाने पर प्रकट होता है कि अभियोगी अभियुक्त कालूराम द्वारा अभिकथित गालियों के एकमात्र शब्द को, उसे पैसा काहे को दूं शब्द के संयोजन के रूप में प्रकट करता है, किन्तु प्रथमतः अभियोगी का ऐसा कोई अभिकथन नहीं है कि वह शब्द सुनकर उसे सुनने बुरा लगा था या क्षोभ कारित हुआ था न ही अभियोगी का अभिकथन अभियोगी की इस परिस्थिति को अभिलेख पर प्रकट करता है कि वह समाज के ऐसे वर्ग से संबंधित व्यक्ति है, जिस वर्ग में सामान्यतः ऐसे शब्दों का प्रचलन नहीं है और ऐसे शब्दों को उस सामान्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा सामान्यतः अश्लील माना जाता है।

14. इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर प्रकट नहीं किया गया है कि अभियोजन प्रकरण प्रश्नगत गाली के प्रमाणन के संबंध में

किस दृष्टिकोण से उस गाली को अभियोगी के परिप्रेक्ष्य में अश्लील शब्द की कोटि में सम्मिलित करने वाला रहा है। कतिपय न्याय दृष्टांतों में अभियोगी द्वारा अभिकथित गाली के शब्द को गाली या अश्लील शब्द नहीं माना गया है।

15. अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियुक्त का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 294 में समाहित नहीं होता। ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 294 भादवि के आरोप हेतु सिद्धदोष किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की है।

16. जहां तक अभियुक्त द्वारा अभियोगी को जान से मारने की धमकी उच्चारित कर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किये जाने के तथ्य का प्रश्न है, स्वयं अभियोगी को **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 154 के प्रावधान** का उपयोग कर अभियोजन की ओर से उससे सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसके उत्तर में ही अभियोगी कंडिका 3 में यह तथ्य गलत होना कथित करता है कि अभियुक्तगण द्वारा पैसे मागे जाने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। न ही मुख्य परीक्षण में अभियोगी ने ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर प्रकट किया है कि प्रश्नगत घटना अर्थात् संव्यवहार के चालू रहने के दौरान अथवा वह संव्यवहार पूर्ण होने के पश्चात किसी समय अभियुक्त कालूराम का आचरण या हाव भाव अभियोगी के परिप्रेक्ष्य में उस कोटि के रहे जिससे अभियोगी को यह आशंका उत्पन्न हुई कि अभियुक्त तत्काल या भविष्य में अभियोगी की किसी संपत्ति को या स्वयं अभियोगी को या उससे संबद्ध किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने का आशय धारित करता है। ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 506 भाग दो भादवि के आरोप हेतु सिद्धदोष घोषित करने में विधिक त्रुटि कारित की है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

17. अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त कालूराम को धारा 294 तथा 506 भाग दो भादवि हेतु की गयी दोषसिद्धि का निष्कर्ष स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से **विद्वान विचारण न्यायालय का इस संबंध में अभिलिखित निष्कर्ष और तत्संबंधी निर्णय दिनांक 06.12.16 को उक्त सीमा तक अपास्त कर अभियुक्त कालूराम को भादवि की धारा 294, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।**

18. जहां तक अभियुक्त द्वारा अभियोगी को स्वेच्छया उपहति कारित किये जाने के तथ्य का प्रश्न है, अभियोगी को गब्बर अ.सा.1 अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त कालूराम द्वारा उसे पत्थर से वांयी आंख की बगल में उपहति कारित करने एवं इस उपहति से उसे तीन टांके आने का तथ्य मुख्य परीक्षण में कथित करता है और चिल्लाने पर अपने बड़े भाई घनश्याम तथा स्वयं की पत्नि कमलेश द्वारा बीच बचाव करना व मारपीट में गिरने से उसका दाहिना हाथ भी छिल जाना कथित करता है।

19. अभियोगी के कथन के परिप्रेक्ष्य में अभियोगी के अतिरिक्त अन्य नामित साक्षीगण घनश्याम आदि प्रश्नगत संव्यवहार संपूर्ण हो जाने के उपरांत तब मौके पर

पहुंचे हुए साक्षीगण हैं जिन्होंने प्रश्नगत घटना को संपन्न होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा है। ऐसी स्थिति में अभियोजन साक्षी घनश्याम अ.सा.1 एवं बबीता अ.सा.3, **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 60 के प्रावधानांतर्गत** प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की कोटि में समाहित ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, जो प्रश्नगत घटना के होते समय संपूर्ण घटना को जिन्होंने अपने समक्ष कारित होते हुए खुद देखा हो।

20. स्वयं साक्षी घनश्याम अ.सा.2 की प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 में यह अभिस्वीकृति की वह जिस समय घटना स्थल पर आया उस समय लड़ाई हो चुकी थी और साक्षी बबीता की प्रतिपरीक्षण की कंडिका 3 में यह अभिस्वीकृति की घटना के समय वह अपने घर पर बैठी थी और चिल्लाचोंट की आवाज सुनकर गयी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट पद्वथ पी 1 की अंतर्वस्तु से जोड़कर देखे जाने पर कि जब अभियोगी जाने लगा तब अभियुक्तगण ने उसे रोक लिया और इतने में उसकी भाभी बबीता और घनश्याम आ गये और बीच बचाव किया, भी उपरि निष्कर्षित परिस्थितियों को बल प्रदत्त कर उक्त साक्षीगण के अभिकथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 में उपबंधित तथ्यों की सुसंगता से जोड़कर देखे जाने की परिस्थिति को प्रकट करती है।

21. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 की अंतर्वस्तु भी इस तथ्य को प्रकट करती है कि घटना पूर्ण हो जाने के उपरांत घनश्याम और बबीता मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना में बीच बचाव किया। साक्षी गंगाराम अभियोगी गब्बर द्वारा उसे घटना के बारे में बताना मुख्य परीक्षण में अभिकथित करता है।

22. यह साक्षी तथा साक्षी घनश्याम अ.सा.2 एवं बबीता अ.सा.3 **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 के उपबंध** में वर्णित परिस्थिति अनुसार ऐसे साक्षीगण हैं, जिन्होंने प्रश्नगत घटना के पश्चात् अभियुक्त अथवा अभियोगी द्वारा प्रकट किये गये पश्चातवर्ती आचरण को अनुभव किया है। तब ऐसी स्थिति में घनश्याम अ.सा. 2, बबीता अ.सा.3 एवं गंगाराम के मुख्य परीक्षण में अभिकथित कथन को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की कोटि में नहीं रख कर उन्हें घटना के पश्चात तथ्यों को अनुभव करने वाले साक्षी की कोटि में रखकर जांचा जायेगा।

23. अभियोगी गब्बर अ.सा.1 अभियुक्त कालूराम द्वारा उसे पत्थर से वांयी आंख की बगल में चोट पहुंचाना कथित करता है। यह चोट घटना के पश्चात् देखे जाने के संबंध में साक्षी घनश्याम अ.सा.2 के अभिकथनानुसार उसके भाई गब्बर के दाहिने आंख पर चोट होकर खून निकल रहा था और साक्षी बबीता के कथनानुसार गब्बर की वांयी आंख पर पत्थर लगा था।

24. साक्षी डॉ. एम.एल खरपा अ.सा.6 अभियोगी गब्बर के मेडीकल परीक्षण के समय उसकी वांयी आंख से ढाई सेमी बाहर की ओर एक फटा हुआ घाव, दाहिने हाथ की छिंगली अंगुली पर छिलाव तथा दाहिने हाथ के डॉर्सल भाग पर छिलाव विद्यमान होना और इस संबंध में चिकित्सा प्रतिवेदन प्रदर्श पी 8 अभिलिखित करना कथित करता है।

25. अभियोजन साक्षी कमलेश अ.सा.7 के प्रतिपरीक्षण की कंडिका 3 के अभिकथनानुसार जहां घटना हुई वहां वह मौजूद नहीं थी, इस साक्षी के कथन के महत्व को समाप्त करता है। साक्षी घनश्याम अ.सा.2 अभियोगी के दाहिने आंख पर चोट होकर खून निकलने का विरोधाभासी अभिकथन करता है। अभियोगी गब्बर अ.सा.1 मात्र अभियुक्त कालूराम द्वारा ही उसे पत्थर से बांयी आंख के बगल में चोट पहुंचाना कथित करता है और इस चोट को देखने का अभिकथन साक्षी बबीता अ.सा.2 अपने कथन में प्रकट कर साक्षी गंगाराम अ.सा.3 घटना के बारे में अभियोगी द्वारा उसे सूचना देना प्रकट करता है।

26. उक्त तथ्यों को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 की अंतर्वस्तुओं से संबद्धकर अभियुक्त कालूराम के कृत्य विषयक अभियोजन प्रकरण के युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणन होने के तथ्य पर विचार किया जाये तब प्रकट होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियोगी रास्ते में उसे कालूराम और घंसू का मिलना तथा इसके पश्चात दोनों का अभियोगी से चेंट जाना अभियुक्त कालूराम द्वारा अभियोगी को पत्थर उठाकर बांयी तरफ आंख के पास मारना और अन्य व्यक्ति घंसू आदिवासी द्वारा अभियोगी को डंडे से दाहिने हाथ की छिंगली अंगुली और पंजे में चोट पहुंचाना कथित करता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं है कि अभियोगी प्रश्नगत घटना के समय मारपीट में गिरा, जिससे उसका दाहिना हाथ भी छिल गया था। जब अभियोगी का प्रश्नगत घटना के समय गिरना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 की अंतर्वस्तु से प्रकट नहीं हैं, तब उसके शरीर पर आंख के अलावा दाहिने हाथ पर विद्यमान दो चोटें किस व्यक्ति द्वारा अथवा किस कारण से उत्पन्न हुई हैं, इसका उचित स्पष्टीकरण का अभाव अभियोगी के कथन की सत्यता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली परिस्थिति है।

27. यह मान लिया जाये कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 की अंतर्वस्तु अनुसार उसके दाहिने हाथ की चोटें घंसू आदिवासी द्वारा अभियोगी को कारित की गयी थीं, तो अभियोगी का मुख्य परीक्षण में इस विषयक कोई समर्थनकारी अभिकथन घंसू के विरुद्ध अभिकथित नहीं है न ही वर्तमान अपील सह अभियुक्त घंसू की दोषमुक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत अपील ही है न ही अभिलेख के अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य प्रकट हो रहा है कि प्रश्नगत घटना में अभियुक्त कालूराम द्वारा प्रयुक्त पत्थर को अनुसंधान के प्रक्रम पर उपहति कारित करने के साधन के रूप में जप्त किया गया है और जहां कि साक्षीगण घनश्याम, बबीता, गंगाराम एवं कमलेश प्रश्नगत घटना के चालू रहने के दौरान मौके पर मौजूद नहीं रहे हैं और यह साक्षीगण अभियोगी के परिवार के होने से उससे हितबद्ध हैं और जहां कि अभियोगी को कारित उपहति के संबंध में मात्र अभियोगी का कथन डॉ. एम एल खरका अ.सा.6 का अभिकथन तथा चिकित्सा प्रतिवेदन प्रदर्श पी 8 की अंतर्वस्तु एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 की ही अंतर्वस्तु विद्यमान है, वहां सह अभियुक्त के घंसू के कृत्य विषयक अभियोगी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में लेशमात्र अभिकथन नहीं करना, स्वयं अभियुक्त घंसू से अभियोगी के या तो हितबद्ध होने के तथ्य को प्रकट करता है या प्रश्नगत घटना के पूर्णतः सत्य होने की

विश्वसनीयता को ही समाप्त कर देता है।

28. ऐसी स्थिति में जहां कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त कालूराम तथा घंसू के विरुद्ध सामान्य आशय के गठन के पश्चात अभियोगी को लाठी एवं पत्थर से स्वेच्छया उपहति कारित किये जाने विषयक आरोप विरचित किया गया है, वहां विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष कालूराम व घंसू के मध्य सामान्य आशय की विद्यमानता भी प्रश्नगत घटना के समय थी अथवा नहीं, यह जांचे जाने का विषय रहा और अभियोजन की ओर से उक्त सामान्य आशय की विद्यमानता को प्रकट किये जाने हेतु अभियोगी अथवा अन्य अभियोजन साक्षीगण से मुख्य परीक्षण में कोई परिस्थिति अभिलेख पर प्रकट ही नहीं करायी गयी है।

29. कथित पत्थर एवं लाठी को जप्त नहीं किया जाना भी प्रश्नगत घटना की सत्यता को समाप्त करने हेतु पर्याप्त तथ्य है। ऐसी स्थिति में जहां कि अभियोगी के परिप्रेक्ष्य में कारित हुई घटना के संबंध में अभियोगी ने दो अभियुक्तगण को नामित करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 अंकित कराई है और अभिलेख के अवलोकन से अभियुक्त घंसू का अभियोगी से कोई राजीनामा होना भी प्रकट नहीं है, वहां सह अभियुक्त घंसू और अभियुक्त कालूराम के मध्य सामान्य आशय की विद्यमानता के संबंध में अभियोगी द्वारा तथ्यों का प्रकट नहीं कराया जाना और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विरचित आरोप के संबंध में अभियुक्तगण के मध्य सामान्य आशय की विद्यमानता को नहीं जांचा जाना ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां हैं, जिसके अधीन यदि अभियोगी गम्बर अ.सा.1 के एकल कथन को पूर्णतः सत्य मान लिया जाये तो भी यह परिस्थितियां ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां हैं, जो अभियुक्त कालूराम की दोषसिद्धि को स्थिर रखे जाने पर अभियुक्त कालूराम पर विधिक प्रक्रिया की निष्फलता को थोपे जाने वाली परिस्थिति होगी और अभियुक्त को न्याय से वंचित करने वाली परिस्थिति सम्मिलित हो जायेगी। ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त कालूराम के विरुद्ध की गयी धारा 323 भादवि की दोषसिद्धि को स्थिर रखा जाना विधिसंबत नहीं होने से अपास्त किया जाता है।

### **अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 2 :-**

30. उपर्युक्त समग्र विवेचना से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त कालूराम को धारा 294, 506 भाग दो तथा धारा 323/34 भादवि के आरोप हेतु सिद्धदोष करने में विधिक त्रुटि कारित की है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दंडादेश दिनांक 06.12.16 को अपास्त कर अभियुक्त कालूराम को धारा 294, 506 भाग दो तथा धारा 323/34 भादवि के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

31. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

32. अभियुक्त कालूराम द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष जमा करायी गयी अर्थदंड की राशि अपील अवधि पश्चात उसे वापस लौटायी जाये।



33. प्रकरण में निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल नहीं है।
34. निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट को अपर लोक अभियोजक के माध्यम से प्रेषित की जाये।
35. तदनुसार अपील स्वीकार कर, निराकृत की जाती है।  
निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मेरे उद्बोधन पर टंकित किया  
हस्ताक्षरित, एवं घोषित गया। गया।

(सैफी दाऊदी)

प्र.अ. सत्र न्यायाधीश अशोकनगर  
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश,  
अशोकनगर (म.प्र.)  
दिनांक— 21.02.18

(सैफी दाऊदी)

प्र.अ. सत्र न्यायाधीश अशोकनगर  
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश  
अशोकनगर (म.प्र.)